



# विवरणिका

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय



## श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रुड़की (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से सम्बद्ध





**PROSPECTUS**  
**S.S.D.P.C. GIRLS (P.G.) COLLEGE**  
**Roorkee (Haridwar) Uttarkhand**  
**(Approved Under Section 2f & 12B of UGC Act 1956)**  
**NAAC Accredited 'B' Grade**



**विवरणिका**  
**(20.....-20.....)**

*(नियम एवं अन्य जानकारी)*

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय  
श्रीनगर, गढ़वाल से सम्बद्ध

**श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय**  
**रुड़की (हरिद्वार) उत्तराखण्ड (स्थापित : 1966)**

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 2f एवम् 12b के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त)

Fax No. : 01332-262705

☎ : 01332-262705

Website : [www.ssdpcroorkee.org](http://www.ssdpcroorkee.org)

Email address : [ssd.degree@gmail.com](mailto:ssd.degree@gmail.com)



# अनुक्रमणिका

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नैक सर्टिफिकेट	3
2.	उददेश्य	4
3.	प्रवक्ता सूची	5-6
4.	पाठ्यक्रम विवरण	7-8
5.	अभिभावकगण कृपया ध्यान दें	9
6.	महाविद्यालय की गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ	10
7.	शुल्क विवरण	11-12
8.	प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक नियम	13
9.	प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश	14-17
10.	स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण	17
11.	स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण	18
12.	सरकारी छात्रवृत्तियाँ, छात्रा कल्याण एवं निर्धन छात्रा कोष	19
13.	महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ, उपस्थिति नियम	20-22
14.	पाठ्येत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ	23
15.	शपथ पत्र प्रारूप	24



लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार  
महाविद्यालय के सूचना अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी – डा० अर्चना मिश्रा प्राचार्या : 01332-262705

सहायक लोक सूचना अधिकारी – डॉ० अलका आर्य

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी – सचिव, प्रबन्ध समिति





राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान  
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL  
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

## *Certificate of Accreditation*

*The Executive Committee of the  
National Assessment and Accreditation Council  
on the recommendation of the duly appointed  
Peer Team is pleased to declare the  
Sri Sanatan Dharam Prakash Chand Kanya Snatkottar Mahavidyalaya  
Roorkee, affiliated to Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand as  
Accredited  
with CGPA of 2.53 on four point scale  
at B grade  
valid up to January 18, 2021*

*Date : January 19, 2016*



*D. P. Singh*  
Director

ECSC/11/AA/11

## उद्देश्य

मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सुप्त प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा का उद्घाटन समाज की उन्नति, राष्ट्र की सुरक्षा व अभिवृद्धि का नाम है शिक्षा शिक्षा साक्षरता का पर्याय नहीं, शिक्षा कुछ जानकारियों का संग्रह नहीं, शिक्षा केवल उपाधियों—पदवियों का वितरण अथवा एकीकरण नहीं अपितु वह तो कर्म कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि का पर्याय है, वह तो करणीय—अकरणीय का बोध है, चरित्र बल का सोपान है तथा जीवन जीने की कला का ज्ञान है।

शिक्षा की इस असाधारण महिमा—गरिमा को पहचान कर ही श्री सनातन धर्म रक्षिणी सभा ने 1940 में रुड़की सनातन धर्म प्रकाश चन्द गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की। 1951 में हाई स्कूल और माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता प्राप्त करके तथा 1966 में 7 विषयों में स्नातक कक्षाओं की सुविधा देकर रुड़की नगर के इस कन्या महाविद्यालय ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विगत दो दशकों में इस महाविद्यालय ने सफलता के उच्चतम शिखरों को स्पर्श किया है छात्रायें वैज्ञानिक प्रगति के साथ—साथ चल सकें तथा परिवर्तनशील वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकने की क्षमता विकसित करें, इस हेतु वर्ष 1998 से महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग की कक्षायें भी प्रारम्भ की जा चुकी हैं। विज्ञान के अध्ययन के लिये भवन व व्याख्यान—कक्षों व प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के व्यक्तिगत विकास को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण सत्र शिक्षण के साथ—साथ सेमिनार, परियोजना कार्य, क्षेत्र आधारित गतिविधियाँ, विशिष्ट व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान एवं कार्यशालायें नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। विज्ञान वर्ग की शिक्षिकायें भी मानक के अनुरूप उच्च शिक्षित हैं। छात्राओं की सुविधा हेतु महाविद्यालय में सत्र 2006—2007 से चित्रकला एवं राजनीति विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ हो गई हैं।

महाविद्यालय की छात्राओं का परीक्षा परिणाम गत वर्षों में उत्कृष्ट (95 प्रतिशत) रहा है। वे जहाँ सर्वाधिक अंकों के कारण विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाती रही हैं वहीं शिक्षणोत्तर गतिविधियों में भी जिलास्तर एवं राज्य स्तर पर अनेक उपलब्धियाँ अर्जित कर रही हैं। श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या महाविद्यालय पठन—पाठन के स्तर को और ऊँचाँ उठाने, इसके अनुशासन को अनुकरणीय बनाने के साथ—साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिये सतत् प्रयत्नशील है।



## आधार स्तम्भ

### स्व० श्री कृष्ण चन्द जी



4.3.1926 - 6.1.2015  
कार्यकाल : 1967 से 2012  
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

### स्व० श्री विश्वेश्वर दयाल जी



कार्यकाल : महाविद्यालय स्थापना से वर्ष 1987 तक  
सचिव, प्रबन्ध समिति

### स्व० श्री नरेन्द्र कुमार सिंघल



17.8.1942 - 31.5.2012  
कार्यकाल : 1987 से मई 2012 तक  
सचिव, प्रबन्ध समिति

### स्व० श्री कृष्ण चन्द जी



24.10.1924 - 14.3.2009  
कार्यकाल : 1966 से प्रबंध समिति के सक्रिय संस्थापक सदस्य  
वर्ष 1987 से 2009 तक नव सृजित कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत

# महाविद्यालय प्रबन्ध समिति



श्री अजय कुमार गर्ग  
अध्यक्ष



श्री तेज बहादुर  
सचिव



श्री सौरभ भूषण  
कोषाध्यक्ष



श्री दिनेश कुमार गुप्ता  
उपाध्यक्ष



श्री अंकित सिंघल  
सदस्य कार्यकारिणी



श्री गोपाल गुप्ता  
सदस्य कार्यकारिणी



श्री अरविन्द कुमार गुप्ता  
सदस्य कार्यकारिणी



श्री सुशील कुमार गर्ग  
सदस्य कार्यकारिणी



श्री योगेश सिंघल  
सदस्य कार्यकारिणी

डा० अर्चना मिश्रा – प्राचार्या  
डा० कामना जैन – शिक्षक प्रतिनिधि

डा० अनुपमा गर्ग – शिक्षक प्रतिनिधि  
श्री अनुज कुमार – गैर शिक्षक प्रतिनिधि





# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय





प्राचार्या – डा० अर्चना मिश्रा

## प्रवक्ता सूची

### कला संकाय स्नातक

1. डॉ० अर्चना मिश्रा प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
2. डॉ० अनुपमा गर्ग प्रोफेसर, अंग्रेजी
3. डॉ० अलका आर्य प्रोफेसर, चित्रकला
4. डॉ० भारती शर्मा असि० प्रोफेसर, अंग्रेजी
5. डॉ० कामना जैन असि० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
6. डॉ० किरन बाला असि० प्रोफेसर, समाजशास्त्र
7. डॉ० अर्चना चौहान असि० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
8. श्रीमति अंजलि प्रसाद असि० प्रोफेसर, समाजशास्त्र
9. पद रिक्त संस्कृत
10. पद रिक्त राजनीतिविज्ञान
11. पद रिक्त हिन्दी
12. पद रिक्त हिन्दी

नोट : प्रबंधकीय व्यवस्था के अन्तर्गत डा० सीमा राय (हिन्दी), डा० अंजु शर्मा (हिन्दी) डा० शिखा शर्मा (संस्कृत) कु० महनाज फातिमा (अंग्रेजी) एवं श्रीमति नेहा शर्मा (अर्थशास्त्र) शिक्षणसत्र में अस्थायी रूप से कार्यरत रही

### विज्ञान संकाय स्नातक – स्ववित्त पोषित

1. डॉ० असमा सिद्दीकी – वनस्पति विज्ञान
2. डॉ० उमा रानी – वनस्पति विज्ञान
3. डॉ० संगीता सिंह – जन्तु विज्ञान
4. कु० शाजिया तबस्सुम – जन्तु विज्ञान
5. श्रीमती शैली सिंघल – कम्प्यूटर साइंस
6. श्रीमती दीप्ति नागपाल – कम्प्यूटर साइंस
7. डॉ० ज्योतिका – भौतिक विज्ञान
8. कु० प्रगति त्यागी – भौतिक विज्ञान
9. श्रीमती पल्लवी सिंह – रसायन विज्ञान
10. श्रीमती अंशु गोयल – रसायन विज्ञान
11. श्रीमती हिमानी त्यागी – रसायन विज्ञान
12. डॉ० पारूल चड्ढा – गणित
13. कु० शिवानी चौधरी – गणित
14. कु० हिमानी – सूक्ष्म-जीव विज्ञान
15. कु० दीपा देवी – सूक्ष्म-जीव विज्ञान

### चित्रकला एवं रंजनकला स्नातकोत्तर – स्ववित्तपोषित

1. श्रीमती मीनाक्षी कश्यप
2. कु० सीमा
3. कु० आंचल
4. डॉ० स्वर्णलता मिश्रा (अतिथि प्रवक्ता)

### राजनीतिविज्ञान स्नातकोत्तर – स्ववित्तपोषित

1. डॉ० शालिनी वर्मा
9. कु० परवीन

### कार्यालय

#### नियमित

1. श्री अनुज सिंघल – नैतिक लिपिक
2. दो पद रिक्त – नैतिक लिपिक
3. पद रिक्त – पुस्तकालयाध्यक्षा
4. पद रिक्त – कार्यालय अधीक्षक
5. पद रिक्त – पुस्तकालय लिपिक

#### स्ववित्तपोषित

1. श्री निशांत पंडित – कार्यालय लिपिक
2. श्रीमती प्रीति शर्मा – पुस्तकालय प्रभारी
3. श्रीमती सुषमा देवी – पुस्तकालय लिपिक
4. श्री अजय अविनाश – कम्प्यूटर ऑपरेटर

## प्रयोगशाला सहायक – स्ववित्त पोषित

- |                      |                   |                          |                          |
|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. श्री विनोद कुमार  | – वनस्पति विज्ञान | 2. श्री शिवमंगल वर्मा    | – जन्तु विज्ञान          |
| 3. श्री संदीप भटनागर | – रसायन विज्ञान   | 4. श्रीमती नीतू तायल     | – कम्प्यूटर विज्ञान      |
| 5. कु० प्रियंका      | – भौतिक विज्ञान   | 6. श्रीमती सुषमा कटारिया | – चित्रकला विभाग (एम.ए.) |

## चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

### नियमित

1. श्री नवाब सिंह
3. श्री रामराज शर्मा
5. श्री पंकज कुमार
7. श्री आशीष बिरला
9. श्री उमेश कुमार

### प्रयोगशाला परिचर (स्ववित्तपोषित)

- |                        |                         |                     |
|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2. श्री रविन्द्र कुमार | 1. श्री गगन रस्तोगी     | 2. श्री तेलूराम     |
| 4. श्री तीरथ पाल       | 3. श्रीमती नीलम देवी    | 4. श्री मुकेश कुमार |
| 6. श्रीमती शुभलेश      | 5. श्री सत्यप्रकाश गौड़ | 6. श्री शर्मा देवी  |
| 8. श्री राजेश कुमार    | 7. श्री अमन कुमार       |                     |

## विभिन्न समितियों के प्रभारी (20.....)

### छात्र कल्याण समिति

1. डा० कामना जैन
2. सुश्री अंजलि प्रसाद
3. डा० पारुल चड्ढा

### प्रवेश समिति

1. डा० भारती शर्मा
2. डा० किरन बाला
3. डा० अर्चना चौहान
4. डा० उमा रानी
5. श्रीमती शैली सिंघल
6. श्रीमती दीप्ती नागपाल
7. डा० शालिनी वर्मा

### पुस्तकालय समिति

1. श्रीमति अंजलि प्रसाद
2. डा० ज्योतिका

### अनुशासन समिति

1. डा० कामना जैन
2. डा० अर्चना चौहान
3. डा० उमा रानी
4. श्रीमती पल्लवी सिंह

### सांस्कृतिक समिति

1. डा० अर्चना चौहान
2. श्रीमति अंजलि प्रसाद
3. डा० सीमा राय
4. श्रीमती अंशु गोयल

### क्रीडा समिति

1. डा० किरन बाला
2. श्रीमति अंजलि प्रसाद
3. श्रीमती पल्लवी सिंह

### पत्रिका समिति

1. डा० अनुपमा गर्ग
2. डा० अलका आर्य
3. डा० असमा सिद्दीकी

### शोध पत्रिका समिति

1. डा० अर्चना मिश्रा
2. डा० अनुपमा गर्ग
3. डा० अलका आर्य
4. डा० किरन बाला

### शोध समिति

1. डा० किरन बाला
2. श्रीमती अंशु गोयल

### ई-लर्निंग सेल

1. डा० कामना जैन
2. डा० किरन बाला
3. श्रीमती दीप्ती नागपाल

### शिक्षक अभिभावक समिति

1. डा० भारती शर्मा
2. डा० अर्चना चौहान
3. डा० असमा सिद्दीकी

### परीक्षा समिति

1. डा० अनुपमा गर्ग
2. डा० अलका आर्य
3. डा० भारती शर्मा

### समय सारिणी समिति

1. डा० कामना जैन
2. डा० किरन बाला
3. डा० असमा सिद्दीकी
4. डा० पारुल चड्ढा

### क्रय समिति

1. डा० अनुपमा गर्ग
2. डा० कामना जैन
3. श्रीमति अंजलि प्रसाद
4. डा० उमा रानी

### नैक क्रियान्वयन समिति

1. डा० अनुपमा गर्ग
2. डा० कामना जैन

### आई०क्यू०ए०सी०

1. डा० अलका आर्य
2. डा० किरनबाला
3. श्रीमति अंजलि प्रसाद
4. डा० असमा सिद्दीकी

### शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

1. श्रीमति अंजलि प्रसाद
2. डा० उमा रानी

### पूर्व छात्रा संपर्क प्रकोष्ठ

1. डा० अर्चना चौहान
2. डा० उमा रानी
3. श्रीमती अंशु गोयल

### रिपोर्टस मीडिया/फोटो लाईब्रेरी एवं वेबसाइट अपडेटिंग

1. डा० अलका आर्य
2. डा० भारती शर्मा
3. श्रीमती शैली सिंघल

### श्रीमती दीप्ती नागपाल

4. श्रीमती दीप्ती नागपाल

### एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट सेल

1. डा० भारती शर्मा
2. डा० अर्चना चौहान

### कैरियर गाईडेंस व प्लेसमेंट

1. डा० किरन बाला
2. डा० संगीता सिंह
3. डा० ज्योतिका

### छात्रा सशक्तिकरण प्रकोष्ठ

1. डा० अनुपमा गर्ग
2. डा० संगीता सिंह

### राष्ट्रीय सेवा योजना

1. डा० भारती शर्मा



## महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम (सेमेस्टर प्रणाली) तथा सीटें:-

	उपाधि	पाठ्यविषय	अवधि	उपलब्ध सीटें
रेगुलर कोर्स	बी0ए0	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, चित्रकला राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र	3 वर्ष	240
स्वातंत्र्यपोषित कोर्स	बी0एससी0-गणित	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित	3 वर्ष	60
	बी0एससी0-कम्प्यूटर साइंस	भौतिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित	3 वर्ष	30
	बी0एससी0-जीव विज्ञान	वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान	3 वर्ष	60
	बी0एससी0-माइक्रोबायोलॉजी	वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान	3 वर्ष	30
	एम0ए0- चित्रकला	चित्रकला	2 वर्ष	30
	एम0ए0- राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान	2 वर्ष	30

### C.B.C.S. FOR B.A. PROGRAMME

Semester	Discipline Specific Core Course (DSCC)	Ability Enhancement Compulsory Course (AECC)	Skill Enhancement Elective Course (SEC)	Discipline Specific Elective (DSE)	Generic Elective (GE)
I	English Language	Environmental Science (AECC-1)		Subject 1 Core Paper I Subject 2 Core Paper I	
II	Hindi Language / MIL-1	English/Hindi/MIL Communication (AECC-2)		Subject 1 Core Paper II Subject 2 Core Paper II	
III	English/Hindi Language / MIL - 1		Skill Based - I	Subject 1 Core Paper III Subject 2 Core Paper III	
IV	Hindi Language / MIL-II		Skill Based - II	Subject 1 Core Paper IV Subject 2 Core Paper IV	
V			Skill Based - III	Subject 1 Core Paper V Subject 2 Core Paper V	GE-1 Paper-I
VI			Skill Based - IV	Subject 1 Core Paper VI Subject 2 Core Paper VI	GE-1 Paper-II

**AECC - Ability Enhancement Compulsory Course**

**नोट :- EWS** सीटों के संदर्भ में निदेशालय/शासन के निर्देश प्राप्त होने पर आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था लागू की जायेगी।

## C.B.C.S. FOR B.Sc. PROGRAMME

Semester	Discipline Specific Core Course (DSCC)	Ability Enhancement Compulsory Course (AECC)	Skill Enhancement Elective Course (SEC)	
I	Subject 1 Core Paper I Subject 2 Core Paper I Subject 3 Core Paper I	English/Hindi/MIL Communication (AECC-1)		
II	Subject 1 Core Paper II Subject 2 Core Paper II Subject 3 Core Paper II	Environmental Science (AECC-2)		
III	Subject 1 Core Paper III Subject 2 Core Paper III Subject 3 Core Paper III		Skill Based - I	
IV	Subject 1 Core Paper IV Subject 2 Core Paper IV Subject 3 Core Paper IV		Skill Based - II	
V			Skill Based - III	Subject 1 Elective Paper I Subject 2 Elective Paper I Subject 3 Elective Paper I
VI			Skill Based - IV	Subject 1 Elective Paper I Subject 2 Elective Paper I Subject 3 Elective Paper I

### AECC - Ability Enhancement Compulsory Course

**सेमेस्टर प्रणाली :-** विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातक प्रथम वर्ष में भी एम0ए0 की भाँति सत्र 2015-16 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू हो गया है। तदनुसार सभी दिशा निर्देश लागू हो गये हैं। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से मई माह तक चलेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक सेशनल परीक्षा व अंत में एक सेमेस्टर परीक्षा होगी। छात्रा को प्रत्येक सेमेस्टर में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करनी होगी। किसी भी छात्रा की सेशनल परीक्षा छूटने पर अलग से परीक्षा नहीं ली जायेगी। उपस्थिति नियम विस्तार से आगे दिये गये हैं।

#### बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिये विषय चयन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

- विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय में सीमित सीटें निर्धारित होने के कारण मेरिट के आधार पर विषय दिये जायेंगे और विषय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
- केवल वे ही छात्राएं चित्रकला अध्ययन कर सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा इस विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

#### बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष के लिये विषय चयन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

- गणित संवर्ग के विषय इण्टरमीडिएट में गणित संवर्ग से उत्तीर्ण होने पर तथा जीवविज्ञान संवर्ग के विषय इण्टरमीडिएट में जीवविज्ञान संवर्ग से उत्तीर्ण होने पर मिलेंगे।

#### एम0ए0 प्रथम वर्ष के लिये विषय चयन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

- एम0ए0 चित्रकला विषय हेतु स्नातक स्तर पर चित्रकला विषय होना आवश्यक है।



### अभिभावक कृपया ध्यान दें

इस विवरणिका में महाविद्यालय व प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ दी गई हैं। अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रा के फार्म भरने से पूर्व समस्त निर्देशों व सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।

निम्नांकित का विशेष ध्यान दें –

- बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अपनी छात्रा को पाठ्य विषयों का चयन सोच समझकर करवायें। एक बार चयन किये गये विषय में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- छात्रा का फार्म छात्रा के भरने के बाद आप स्वयं चैक करें। फार्म अधूरा होने पर छात्रा के प्रवेश पर प्रभाव का उत्तरदायी महाविद्यालय का नहीं होगा।
- बैंक फीस स्लिप को संभाल कर रखें। खोने पर पुनः नहीं दी जायेगी। परीक्षा का प्रवेश-पत्र प्राप्त करते समय यह स्लिप दिखानी होगी।
- छात्रा महाविद्यालय-परिधान में ही महाविद्यालय आयें। छात्रा की यूनिफार्म भारतीय नौरी की गरिमा के अनुरूप बनवायें। श्वेत सलवार-कुर्ते के साथ सूती चुन्नी अनिवार्य है। स्कर्ट, पैंट, जीन्स आदि पोशाक वर्जित है।
- प्रवेश के लिये छात्रायें स्वयं आयें। अभिभावकों को छात्रा के प्रवेश के लिये आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रवेश कक्ष में आने की अनुमति नहीं है।
- महाविद्यालय परिसर में मोबाईल लाना पूर्णतः वर्जित है। विशेष परिस्थिति में अभिभावक के अनुरोध पर मोबाईल रखने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। परिसर में मोबाईल का अनुचिन प्रयोग करते पाये जाने पर छात्रा का मोबाइल जब्त कर लिया जायेगा और अभिभावक को ही सौंपा जायेगा। इस सबन्ध में महाविद्यालय प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही/आर्थिक दण्ड का भी अधिकार होगा। मोबाईल खोने पर महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- यदि छात्रा को कोई बीमारी है तो उसकी चिकित्सक द्वारा बताई दवा छात्रा के पास उपलब्ध करवायें।

### छात्राएँ कृपया ध्यान दें

श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण एवं उच्च स्थान रखता है। महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएँ इस संस्था के सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतिनिधि हैं। संस्था के बाहर एवं अन्दर उनका व्यवहार संस्था की गरिमा के अनुकूल होना चाहिये। महाविद्यालय की सुव्यवस्था और उसके आदर्शों के निर्वाह हेतु कुछ बातें याद रखनी अपेक्षित हैं।

- महाविद्यालय की चूनिफार्म में आना प्रत्येक छात्रा के लिये अनिवार्य है।
- छात्राओं को कक्षाओं में नियमित रूप से समय पर आना है।
- छात्राओं को अपना Identity Card प्रतिदिन अपने साथ पहन कर आना होगा।
- छात्राओं को अपनी समस्त कठिनाईयों अपनी शिक्षिकाओं को बतानी चाहिये।
- छात्रवृत्ति सम्बन्धी सभी आवेदन-पत्र कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराने होंगे।
- पुस्तकालय की समस्त सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाने के लिये छात्राओं को पुस्तकालय के नियमों का पालन करना होगा।
- प्राचार्य या चीफ प्रॉक्टर की अनुमति के बिना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर कोई सूचना, विज्ञापन या समाचार पत्र का उद्धरण नहीं लगाया जा सकता।
- छात्राओं को दोनों सेमेस्टर में होने वाली आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सा सम्बन्धी अथवा अन्य अपरिहार्य स्थिति में सम्यक प्रमाण पत्र सहित महाविद्यालय को पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
- उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के दृष्टिगत सत्र 2020-21 में भी परिस्थिति के अनुसार ऑनलाईन कक्षाएँ संचालित होंगी। अतः छात्रायें ऑनलाईन शिक्षा से जुड़ने के लिये उपयुक्त साधन अपने पास रखें।
- छात्रा प्रवेश फार्म में अपना स्थाई फोन नं. दें। नंबर परिवर्तित होने पर तत्काल कार्यालय को सूचित करें। इसके अतिरिक्त अभिभावक का नंबर तथा एक अतिरिक्त नंबर भी दें जिससे किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में संपर्क किया जा सके।

महाविद्यालय की गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ  
विश्वविद्यालय मेरिटलिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएँ

क्र. सं.	नाम	कक्षा	वर्ष	अंक प्रतिशत	विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट में स्थान
1.	कु0 कामिनी	एम0ए0 चित्रकला	2018	84.00	प्रथम (स्वर्ण पदक)
2.	कु0 चन्दा	एम0ए0 चित्रकला	2017	8.72(C.G.P.A.)	प्रथम (स्वर्ण पदक)
3.	कु0 सायरा	एम0ए0 राजनीति विज्ञान	2017	8.71(C.G.P.A.)	प्रथम (स्वर्ण पदक)
4.	कु0 दीपमाला	एम0ए0 चित्रकला	2017	8.65(C.G.P.A.)	द्वितीय
5.	कु0 निशा	एम0ए0 चित्रकला	2017	8.28(C.G.P.A.)	पंचम
6.	कु0 रितु गोस्वामी	बी0एस0सी0	2017	77.94	दशम
7.	कु0 छाया त्यागी	बी0ए0	2016	78.00	प्रथम (स्वर्ण पदक)
8.	कु0 रीतू रानी	बी0ए0	2016	76.00	तृतीय
9.	कु0 अर्चना	एम0ए0 चित्रकला	2016	85.97	प्रथम (स्वर्ण पदक)
10.	कु0 आंचल कुमारी	एम0ए0 चित्रकला	2016	84.50	तृतीय
11.	कु0 शिल्पा राय	बी0एस0सी0	2016	81.33	पंचम
12.	कु0 मीनाक्षी त्यागी	एम0ए0 राज0विज्ञान	2014	73.00	चतुर्थ
13.	कु0 परवीन	एम0ए0 राज0विज्ञान	2013	73.67	द्वितीय
14.	कु0 मीनाक्षी	एम0ए0 चित्रकला	2013	86.00	द्वितीय
15.	कु0 दिव्या	एम0ए0 चित्रकला	2013	85.71	तृतीय
16.	कु0 शिवानी	एम0ए0 चित्रकला	2013	85.13	चतुर्थ
17.	कु0 प्रिया प्रधान	एम0ए0 चित्रकला	2012	80.80	द्वितीय
18.	कु0 अन्जुम आरा	एम0ए0 चित्रकला	2012	79.30	चतुर्थ
19.	कु0 ललिता देवी	एम0ए0 चित्रकला	2012	79.10	पंचम
20.	कु0 निभा राठी	एम0ए0 राज0विज्ञान	2011	68.78	प्रथम (स्वर्ण पदक)
21.	कु0 प्रीति रानी	एम0ए0 चित्रकला	2011	77.60	द्वितीय
22.	कु0 शिवानी सैनी	एम0ए0 चित्रकला	2010	83.60	प्रथम (स्वर्ण पदक)
23.	कु0 मीनाक्षी सिन्धु	एम0ए0 चित्रकला	2010	80.10	द्वितीय
24.	कु0 उपासना	एम0ए0 चित्रकला	2010	77.30	चतुर्थ
25.	कु0 प्रीति शर्मा	बी0एस0सी0	2009	79.78	प्रथम (स्वर्ण पदक)
26.	कु0 चीनू त्यागी	एम0ए0 चित्रकला	2009	79.10	द्वितीय
27.	कु0 शिखा कैथ	एम0ए0 चित्रकला	2009	77.50	पंचम
28.	कु0 शकुन सिंह	एम0ए0 चित्रकला	2008	83.63	प्रथम (स्वर्ण पदक)
29.	कु0 नीतू	एम0ए0 चित्रकला	2008	81.63	तृतीय
30.	कु0 मोनिका पंवार	बी0एस0सी0	2007	79.89	द्वितीय



## वार्षिक शुल्क कला संकाय-स्नातक

<b>A : Maintenance Fees</b>		
क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रु.)
1	शिक्षण शुल्क	.....
2	प्रवेश शुल्क	10
3	महंगाई शुल्क	144
4	विकास शुल्क	100
5	पंखा शुल्क	50
6	पुस्तकालय शुल्क	100
7	विधिक शुल्क	100
8	प्रसाधन शुल्क	50
9	कम्प्यूटर इण्टरनेट शुल्क	70
10	जनरेटर/इन्वर्टर शुल्क	50
11	कला शुल्क (केवल चित्रकला विषय वाली छात्राओं हेतु)	180
<b>योग (A)</b>		<b>854</b>
<b>B : Girls Fund</b>		
12	क्रीड़ा शुल्क	360
13	निर्धन छात्रा शुल्क	20
14	छात्रा कल्याण शुल्क	20
15	वाचनालय शुल्क	20
16	परिचय-पत्र शुल्क	40
17	पत्रिका शुल्क/विवरण प्रपत्र शुल्क	80
18	सेशनल परीक्षा शुल्क	50
19	सांस्कृतिक शुल्क	100
<b>योग (B)</b>		<b>690</b>
<b>कुल योग (A+B)</b>		<b>1544</b>

नोट :

1. विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा बढ़ाया गया शुल्क देय होगा।
2. परीक्षा शुल्क/(नामांकन शुल्क केवल प्रथम वर्ष की छात्रा हेतु) छात्राओं द्वारा एस0बी0आई0 कलेक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में आनलाईन जमा करना होगा। बी0ए0 षष्ठम सेमेस्टर को 170.00 उपाधि शुल्क भी देना होगा।
3. प्रवजन प्रमाण-पत्र (**Migration Certificate**) प्राप्त करने के लिये सीधे विश्वविद्यालय से सम्पर्क करना होगा।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (**TC**) व चरित्र प्रमाण पत्र (**CC**) का शुल्क 50-50 रुपये देना होगा।
5. फीस रसीद व परिचय पत्र दोबारा बनवाने पर 75/- रुपये शुल्क देना होगा।

## वार्षिक शुल्क विज्ञान संकाय-स्नातक (स्ववित्त पोषित)

<b>A : Maintenance Fees</b>							
क्र.सं.	विवरण	गणित वर्ग			जीव विज्ञान वर्ग		
		बी0एस0सी0 प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर शुल्क	बी0एस0सी0 तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर शुल्क	बी0एस0सी0 पंचम/षष्ठम सेमेस्टर शुल्क	बी0एस0सी0 प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर शुल्क	बी0एस0सी0 तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर शुल्क	बी0एस0सी0 पंचम/षष्ठम सेमेस्टर शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	8100.00	7000.00	6000.00	8100.00	7000.00	6000.00
2	प्रवेश शुल्क	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00
3	महंगाई शुल्क	800.00	700.00	600.00	800.00	700.00	600.00
4	विकास शुल्क	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
5	पंखा शुल्क	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6	पुस्तकालय शुल्क	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7	प्रयोगशाला शुल्क	1000.00	1000.00	1000.00	1400.00	1400.00	1400.00
8	प्रयोगशाला ब्रैकेज शुल्क	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
9	आन्तरिक परीक्षा शुल्क	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
<b>योग (A)</b>		<b>12440.00</b>	<b>11150.00</b>	<b>10050.00</b>	<b>12840.00</b>	<b>11550.00</b>	<b>10450.00</b>
<b>B : Girls Fund</b>							
10	क्रीडा शुल्क	360.00	240.00	240.00	360.00	240.00	240.00
11	निर्धन छात्रा शुल्क	50.00	20.00	20.00	50.00	20.00	20.00
12	छात्रा कल्याण शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
13	वाचनालय शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
14	परिचय-पत्र शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
15	पत्रिका शुल्क	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
16	सांस्कृतिक शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>योग (B)</b>		<b>740.00</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>	<b>740.00</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>
<b>कुल योग (A+B)</b>		<b>13180.00</b>	<b>11720.00</b>	<b>10620.00</b>	<b>13580.00</b>	<b>12120.00</b>	<b>11020.00</b>

नोट :

- समस्त छात्राओं को परीक्षा शुल्क तथा प्रथम वर्ष की छात्राओं को नामांकन शुल्क/पंजीकरण शुल्क एस0बी0आई0 कलेक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में छात्राएँ स्वयं आनलाईन जमा करेंगी होगा।
- विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा बढ़ाया गया शुल्क देय होगा। बी0एस0सी0 षष्ठम सेमेस्टर को 170.00 उपाधि शुल्क भी देना होगा।
- बी0एस0सी0 की छात्राओं को कम्प्यूटर साइंस विषय के लिये रु 3500 एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय के लिये रु. 3000/- अतिरिक्त मान्य शुल्क देना होगा।
- प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) प्राप्त करने के लिये सीधे विश्वविद्यालय से सम्पर्क करना होगा।
- फीस रसीद व परिचय पत्र दोबारा बनवाने पर 75/- रूपये शुल्क देना होगा।

### कला संकाय स्नातकोत्तर (स्ववित्त पोषित)

स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिशास्त्र प्रथम वर्ष के लिये रु0 8084.00 एवं राजनीतिशास्त्र द्वितीय वर्ष के लिये रु0 7250.00 (परीक्षा शुल्क अतिरिक्त देय होगा)

चित्रकला प्रथम वर्ष के लिये रु0 16000.00 (रु0 8000 व रु0 8000 प्रति सेमेस्टर) शुल्क देय होगा एवं चित्रकला द्वितीय वर्ष के लिये रु0 14050.00 (रु0 7025 व रु0 7025 प्रति सेमेस्टर) शुल्क देय होगा (परीक्षा शुल्क अतिरिक्त देय होगा)



# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय



# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय





# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय





# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय



## प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक नियम

प्रवेश के समय प्रथम वर्ष की छात्राओं को चाहिये कि वे निम्नलिखित विवरण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें :

1. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट की प्रमाणित की हुई एक-एक फोटो स्टेट कॉपी स्वयं हस्ताक्षरित। एम0ए0 प्रथम वर्ष हेतु बी0ए0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष की मार्कशीट स्वयं हस्ताक्षरित फोटोकॉपी।
2. चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रतिलिपि।
3. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रतिलिपि।
4. जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति / परिगणित जाति अन्य पिछड़ी जाति के लिये)
5. विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, कारगिल शहीद आदि का प्रमाण-पत्र।
6. पृष्ठ संख्या 24 पर दिया गया एंटी रैगिंग शपथ-पत्र।
7. आधार कार्ड की प्रति
8. 2 पोस्टकार्ड

सभी प्रवेश योग्यता (मेरिट) के आधार पर किये जायेंगे। किसी भी विषय में प्रवेश के लिये विषय की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करनी अनिवार्य है। प्रत्येक विषय में छात्र संख्य निश्चित है अतः स्थान पूर्ण हो जाने पर (न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर भी) वांछित विषय में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा

समस्त कक्षाओं में प्रवेश कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाएँ यथा-आवेदन पत्र जमा कराने, मेरिट लिस्ट चस्पा होने तथा फीस जमा करने की अंतिम तिथि इत्यादि समय-समय पर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेंगी और उसमें निर्धारित तिथियों एवं समय-सीमा के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होगी। अतएव समस्त अभ्यर्थी तिथिवार सूचनाओं पर विशेष ध्यान दें, विलम्ब से सम्पर्क करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

बी0ए0 / बी0एस0सी0 प्रथम सेमेस्टर की छात्राएँ विषय का चयन भली-भाँति सोच समझ कर करें। यदि छात्रा को स्थान रिक्त न होने के कारण मांगा गया विषय नहीं दिया जा सकेगा तो उसे इण्टर विषय के आधार पर विषय दिया जायेगा। छात्राएँ फीस जमा करने के पूर्व प्रवेश फार्म में दिये गये विषय अवश्य देख लें, यह छात्रा का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। फीस जमा करने के उपरान्त किसी भी स्थिति में विषय परिवर्तन नहीं होगा।

नोट : वर्तमान में महाविद्यालय हे0न0ब0ग0वि0वि0, श्रीनगर (गढ़वाल) से सम्बद्ध है। सम्बद्धता परिवर्तित होने पर नये विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं शुल्क सम्बन्धी नियम लागू होंगे।

## प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

आवेदन पत्र भरने से पहले एवं विषयों का चयन करते समय अभ्यर्थी एवं अभिभावक प्रवेश नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें।

- बी0ए0/बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मान्य परीक्षा में क्रमशः 40 प्रतिशत, 45 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश में 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी। परन्तु उदाहरणार्थ 39.90 प्रतिशत अथवा 44.90 प्रतिशत अंकों को क्रमशः 40 प्रतिशत अथवा 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।
- प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) तथा चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंक तालिकाओं तथा खेल एवं अन्य प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति लगाई जानी आवश्यक है।
- प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को उचित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।
- यूजीसी के दिशानिर्देश F-1-1/2012(\*SA-111) एवं के अनुसार कश्मीर विस्थापितों के लिये अतिरिक्त 2 सीट व कट ऑफ प्रतिशत में 10 प्रतिशत की छूट (न्यूनतम अर्हता के उपर) दी जाती है तथा मूल निवास की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।
- निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश के समय प्रत्येक छात्रा को वार्षिक शुल्क परीक्षा शुल्क आदि जमा करना होगा प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात निर्धारित अवधि में परीक्षा फार्म भरकर कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को बिना कोई कारण दिय प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार होगा।
- अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/विकलांग आदि का आरक्षण श्रेणी से आच्छादित होने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर उप जिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अति आवश्यक होगा अन्यथा आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा साथ ही अभ्यर्थी आवेदन पत्र जिस श्रेणी में लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन पत्र पर स्पष्टतः अंकित करें।
- युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री, पत्नी, भाई/बहन) को, यदि व अह हों तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट, तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेश लेने वाली छात्राएँ एवं अभिभावक दोनों को निर्धारित प्रारूप पर एंटी रैगिंग शपथ-पत्र पृथक-पृथक देना होगा। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
- छात्रा संघ चुनाव शासनादेश संख्या 2311/स्तर-1-15-12(11)/94 दिनांक 21 जनवरी 2000 तथा शासनादेश सं0 548/उच्च शिक्षा/2002-03(168) 2001 तदनुसार डिग्री प्लान/3699-3476/2002-03 दिनांक 18 सितम्बर, 2002 एवं प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सम्पन्न होंगे।



## निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होंगे ।

- निर्धारित नियमानुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों के सत्यापित प्रमाण-पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा। जिन आवेदन पत्रों में सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं होंगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही प्रमाण पत्रों के बिना फार्म स्वीकृत किये जायेंगे।
- स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये प्रत्येक महाविद्यालय/संकाय में सम्बन्धित प्राचार्य/संकायाध्यक्ष प्रवेश समितियों का गठन करेंगे, जो अलग-अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। तत्सम्बन्धी संकायों में प्रवेश के लिये उक्त समिति और प्राचार्य/संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। समितियों के विधिवत् गठन की सूचना प्राचार्य/संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय को भी प्रेषित करेंगे। प्रवेश समितियों द्वारा आवंटित विषयों में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। प्रवेश का दायित्व प्राचार्य/संकायाध्यक्ष का होगा।
- प्रवेश की अंतिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकता है जिन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा किये हों अन्यथा वह प्रवेश के अयोग्य होंगे।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अर्ह है।
- स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की सीटों का निर्धारण सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
- संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोगसभा/विधानसभा/विधान परिषद के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासनादेश सं 1144/कार्मिक-2-2001-52(1)2001 द्वारा नीति के अनुसार अनुमन्य होगी जो इस प्रकार है: अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों में निम्न प्रकार से हॉरिजॉन्टल आरक्षण देय होगा – भूतपूर्व सैनिक 2 प्रतिशत विकलांग 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2 प्रतिशत।
- अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में आरक्षण देने हेतु वही प्रावधान होंगे जो उत्तरप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित हैं। यह व्यक्ति 'अन्य पिछड़े' की अनुसूचि में आता हो तथा साथ ही अधिसूचना संख्या-22/16/92 का-2/1995 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर 1995 द्वारा तथा संशोधितक अनुरूप जिन जातियों सूची की अधिसूचना प्रकाशित हुई थी उन जातियों में से उत्तराखण्ड में निवास कर रही अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा
- उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हों। इन्हीं 10 प्रतिशत स्थानों में आरक्षण प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को नियमानुसार देय होगा।
- विकलांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में 3 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा।
- स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर को सम्पूर्ण सीटों की संख्या के आधार पर विकलांग श्रेणी के लिये आरक्षित सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी, तदुपरान्त प्राचार्य/संकायाध्यक्ष यह निर्णय लेंगे कि आरक्षित सीटें किन विभागों में आवंटित होंगी। आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य

श्रेणी से भरा जा सकेगा।

- अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्रा भूतपूर्व /व्यक्तिगत छात्रा के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकती है स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष की छात्रा को अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर व अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्रा को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः वर्ष तथा स्नातकोत्तर पर चार वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी, जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा (यह नियम व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा)। केवल वे ही छात्राएँ भूतपूर्व छात्रा का लाभ ले सकेगी जिन्होंने पूरे सत्र अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सकीय के आधार पर निवेदन करती हो। ड्रॉपर को संस्थागत छात्रा के रूप में पुनः प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते वह वरीयता क्रम में स्थान रखते हो। ऐसे अभ्यर्थी को नोटेरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा (ड्रॉपर से तात्पर्य है कि छात्रा को विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात परीक्षा में सम्मिलित न होना)
- जिन छात्राओं की गतिविधियाँ नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं, उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है/निकाला जा सकता है अथवा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार में उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी छात्रा ने एम0ए0 अर्थशास्त्र से उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला के लिये अन्य किसी विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और न ही वह किसी अन्य संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकती है।
- संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा प्रवेश प्राप्त छात्राओं की सूची सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय को भेजनी आवश्यक है। प्रवेश प्राप्त छात्राओं की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के पश्चात यदि कोई प्रवेश दिया जाता है तो वह अवैध होगा।
- अनुचित साधन के अर्न्तगत दण्डित छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
- जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रदान करेंगे उनकी सूचना समय समय पर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को दी जायेगी। इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्राएँ उपस्थिति पंजिकाओं में छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेंगे। अलग से विषय स्लिप छात्रा को नहीं दी जायेगी। शुल्क लिपिक शुल्क रसीद में भी आवंटित विषयों को अंकित करेंगे।
- संस्थागत छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगी और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगी। यदि कोई छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

## स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता निर्धारण

1. प्रवेश सभी विषयों में वरीयता सूची के आधार पर किये जायेंगे
2. यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सम्बन्धी नियमों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह परिवर्तन सभी अभ्यर्थियों को मान्य होगा।
3. अतिरिक्त अंक निम्न प्रकार से आवंटित कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

अ. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाली छात्राओं को क्रमशः 5 तथा 7 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

ब. एन.सी.सी. के 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 5 अतिरिक्त अंक तथा आर0डी परेड में भाग लेने वाले को 3 अंक देय होंगे।

स. स्काउट में जी-1 धारक को 1 अंक तथा जी-2 धारक को 2 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

द. ध्रुवपद / गुरुपद धारक को 2 अंक देय होंगे।

नोट : उपरोक्त वर्णित 'अ' से 'द' तक की श्रेणी में आने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में 7 अंको से अधिक का लाभ नहीं दिया जायेगा।

य. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भूतपूर्व / कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति-पत्नी / पुत्र-पुत्री / पौत्र-पौत्री) को 3 अंकों का लाभ सक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

र. राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र धारकों को निम्न अधिमान देय है:-

1. 240 घंटे + एक विशेष शिविर वाले को : 3 अंक
2. 240 घंटे + दो विशेष शिविर वाले को : 5 अंक
3. राष्ट्रीय एकीकरण शिविर वाले को : 3 अंक
4. आर0डी0 परेड वाले को : 3 अंक

नोट : उपर्युक्त नियम (3) में अधिकतम 15 अंक ही देय होंगे तथा (अ से र) से अधिकतम 7 अंक का लाभ मिलेगा।



## स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता निर्धारण

1. कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी0ए0 / बी0कॉम0 / बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण 40 प्रतिशत अंक होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।
2. बी0एस0सी0 / बी0कॉम0 / बी0एड0 में उत्तीर्ण छात्र किसी भी विषय में एम0ए0 प्रथम वर्ष में (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) प्रवेश के लिये अर्ह होंगे।
3. प्रयोगात्मक विषयों के केवल उन्हीं विषयों में प्रवेश अनुमन्य होगा जिस छात्र नें प्रयोगात्मक विषयों के साथ बी0ए0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पढ़ा हो
4. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा।

$$\text{अ. सूचकांक : } \frac{\text{X एवं Y प्राप्तांकों का योग}}{\text{X एवं Y पूर्णांकों का योग}} \times 100$$

यहाँ X = स्नातक परीक्षा के कुल प्राप्तांक

Y = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों को लिखित (थ्योरी) के प्राप्तांकों का योग।

- ब. अतिरिक्त अंकों की गणना निम्न प्रकार निर्धारित कर उसे सूचकांक (अ) में जोड़ दिया जायेगा।
  - क. आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रवेश ले रहा हो, से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो 5 अंक एवं हे0 न0 बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्नातक को 3 अंक।
  - ख. अन्तर विश्वविद्यालय तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूत प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को 5 तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूत प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले आवेदक को 7 अंक देय होंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर 2 अंक देय होंगे।
  - ग. एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारकों को 1 अंक तथा 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक, एन0एस0एस0 के दो शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 2 अंक तथा एक शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जायेगा। साक्षरता अभियान हेतु विश्वविद्यालय स्तरीय प्रमाणपत्र पर 1 अंक देय होगा। उपरोक्त वर्णित ख एवं ग श्रेणी में अधिकतम 7 अंक ही देय होंगे।
  - घ. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व अथवा कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति-पत्नी / पुत्र-पुत्री / पौत्र-पौत्री) को 2 अतिरिक्त अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

## सरकारी छात्रवृत्तियाँ

समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ0बी0सी0 छात्रवृत्ति हेतु निम्न प्रमाण पत्र देने होंगे (जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति एवं आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति), अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, अन्य छात्रवृत्तियाँ (राष्ट्रीय एवं विभागीय) प्राप्त करने हेतु छात्राएँ ऑन लाईन आवेदन कर सकती हैं। सभी प्रकार की छात्रवृत्तियाँ हेतु निर्धारित समय सीमा में छात्राओं को आवेदन करना अनिवार्य है। (उम्मेदीवसंतौपचण्णाणहवअण्णद)

## छात्रा-कल्याण

छात्राओं से उच्चतर शैक्षणिक विकास के लिये छात्र कल्याण परिषद क्रियाशील है। महाविद्यालय में प्रवेश पाने के दिन से छात्रा की प्रगति एवं गतिविधि का विवरण रखा जायेगा जिसमें विद्यार्थी के अभिभावक की सहायता एवं सहयोग की अपेक्षा होगी। समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, साथ ही छात्राओं की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। शहर के दूरस्थ स्थानों से आने वाली छात्राओं के लिये बस पास की सुविधा हेतु महाविद्यालय नियमानुसार प्रयासरत रहता है। इसके अतिरिक्त रेलमार्ग से आने वाली छात्राओं हेतु भी कार्यालय में रेलवे शुल्क में कटौती के फार्म उपलब्ध रहते हैं।

## निर्धन छात्रा कोष

निर्धन छात्रा कोष से प्रति वर्ष छात्राओं को आर्थिक सहायता नियमानुसार वितरित की जाती है। इच्छुक छात्राएँ नोटिस बोर्ड पर लगी सूचनानुसार आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकती हैं। छात्रा कल्याण समिति के माध्यम से छात्राएँ स्वेटर, ड्रेस आदि के लिये भी आवेदन कर सकती हैं।

किसी भी छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता हेतु छात्रा की महाविद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड अनिवार्य है।

## बुक बैंक

प्राध्यापिका वर्ग एवं भूतपूर्व छात्राओं द्वारा प्रदत्त पुस्तकों से स्थापित बुक बैंक विभिन्न विषयों की पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर निर्धन छात्राओं को पूरे सत्र के लिये अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तकें प्रदान करेगा।

## महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें

- स्वच्छ एवम् हरियाली युक्त वातावरण में स्थित महाविद्यालय परिसर।
- पठन-पाठन हेतु हवादार एवम् प्रकाशयुक्त व्याख्यान कक्ष।
- 25 हजार पुस्तकों, विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं शोध पत्रिकाओं युक्त समृद्ध पुस्तकालय।
- समस्त सुविधायुक्त विज्ञान प्रयोगशालायें।
- आधुनिक दृश्य-श्रव्य (Audio-Visual) उपकरणों से युक्त व्याख्यान कक्ष।
- नवीनतम कम्प्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा।
- स्वच्छ जल हेतु वाटर कूलर की सुविधा।
- स्वच्छ पेयजल एवं कैन्टीन सुविधा।
- विद्युत आपूर्ति हेतु 25 KVA क्षमता का जैनरेटर।
- फोटो स्टेट मशीन की सुविधा।

## उपस्थिति नियम

शासनादेश संख्या 528(1)15-(उ०शि०) 71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्रा विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगी जब तक कि वह व्याख्यान और टयुटोरियल कक्षाओं में पृथक-पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करती। विज्ञान के विषयों अथवा ऐसे अन्य विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक कक्षायें होती हैं, प्रयोगात्मक कक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्य की अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगी।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में, व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक-पृथक 6 प्रतिशत तक की छूट संकायाध्यक्ष /डीन/प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिन के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर लिया हो। या  
(ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष स्थिति में समुचित कारण देने पर।
2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिये किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिये कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूनता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिये विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहाँ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन०सी०सी० शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा बशर्त सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

नोट:- बी०ए०/बी०एससी०/एम०ए० के पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने के तिथि से गिनी जायेगी।

नोट : उपस्थिति सम्बन्धी नियम निदेशालय/विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार लागू होंगे।



# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द महाविद्यालय





# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय





# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय





# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय



## अनुशासन

महाविद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था अनुशासन समिति के तत्वाधान में की जाती है। मुख्य अनुशासन अधिकारी( चीफ प्रॉक्टर) व प्रॉक्टर्स तथा प्रीफैक्ट वर्ग से मनोनीत प्रीफैक्ट सामूहिक रूप से इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। छात्राएँ कक्षाओं के उपरान्त ही महाविद्यालय परिसर से बाहर जा सकेंगी। अनुशासन-समिति को विद्यालय में अनुशासन भंग करने की दोषी छात्राओं को दण्डित करने का पूर्ण अधिकार है। सभी छात्राओं से आशा की जाती है कि अपनी गौरवशाली परम्परा का निर्वहन करते हुए संस्था में अनुशासन तथा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगी।

## परिचय पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र

परिचय पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त कर, उसमें पूरी सूचनायें भरकर, फोटो चिपकाकर, 15 दिन के अन्दर प्रॉक्टर महोदया से हस्ताक्षर करवा लें। परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखना छात्रा के लिए आवश्यक है। पुस्तकालय में परिचय पत्र दिखलाने पर ही पुस्तकें प्राप्त हो सकेंगी। यह परिचय पत्र केवल एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा।

चरित्र प्रमाण पत्र महाविद्यालय कार्यालय द्वारा निर्गत होते हैं। महाविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के उपरान्त किसी भी संस्था या सेवाओं में विद्यार्थी का आवेदन पत्र तब तक स्वीकार नहीं होता जब तक उसके पास-नियन्ता का सन्तोषजनक चरित्र प्रमाण पत्र न हो।

## यूनिफार्म

महाविद्यालय की यूनिफार्म श्वेत वस्त्र है। भारतीय नारी की गरिमा के अनुरूप परिधान बनवायें। सलवार कुर्ते के साथ चुन्नी अनिवार्य है। सर्दियों में काला स्वेटर, कोट पहना जा सकता है। सभी छात्राओं को महाविद्यालय की यूनिफार्म में आना अनिवार्य है, अन्य परिधान पहनने की अनुमति नहीं है।

## वाहन पार्किंग

परिसर में स्थान सीमित होने के कारण छात्राओं की सुविधा के लिए महाविद्यालय के निकट ही सशुल्क वाहन पार्किंग व्यवस्था की गई है। अन्यत्र खड़े वाहनों के खोने या अन्य प्रकार के नुकसान के लिए महाविद्यालय किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने हेतु दण्डित किया जा सकता है।

## अन्य सामान्य नियम

1. छात्राएं नियमित रूप से अपनी कक्षा में उपस्थित होंगी, कक्षा में विलम्ब से आने पर छात्रा को कक्षा में प्रविष्ट नहीं होने दिया जायेगा।
  2. एक कक्षा में दूसरी कक्षा में जाते समय अथवा Period आरम्भ होने के 3 मिनट के अन्दर सब छात्राएँ अपनी-अपनी कक्षाओं में बैठ जायें, जो छात्रायें Free है वे पुस्तकालय में जायें अथवा उनके लिये जो स्थान नियत किया गया है, वहीं बैठें।
  3. कक्षा के सामने, कार्यालय के सामने अथवा मेन गेट के सामने घूमने या झुण्ड बनाकर बात करने से विघ्न पहुँचता है, अतः छात्रायें इन स्थानों पर बिल्कुल भी खड़ी न हो यदि कोई छात्रा इन स्थानों पर खड़ी या बातें करती पाई गई तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  4. अभिभावक प्राचार्या से निम्नलिखित दिन तथा समय पर मिल सकेंगे :-  
मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार, समय : प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक
- अभिभावकों से अपेक्षा है कि वे प्रत्येक सेमेस्टर में आयोजित शिक्षक-अभिभावक समिति (Parent Teacher Meet) की बैठक में भाग लेकर अपनी पुत्री/प्रतिपालिता की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी अवश्य लें।

5. छात्राओं का यह निजी उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर लगे हुए नोटिस को पढ़कर जायें यदि कोई छात्रा नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ती और मांगी सूचना नियत तिथि पर नहीं देगी तो इसकी हानि का उत्तरदायित्व छात्रा का होगा। अगर छात्राएँ प्राचार्य अथवा प्रोक्टर की अनुमति के बिना नोटिस बोर्ड पर कोई भी नोटिस लिखेंगी तो उन्हें दण्डित किया जायेगा।
6. छात्राओं के लिए राष्ट्रीय पर्वों पर महाविद्यालय में उपस्थित होना अपेक्षित है।
7. महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रत्येक घण्टे के लिए छात्राओं में से प्रीफेक्ट चीफ प्रॉक्टर द्वारा चुनी जाती हैं ये **Prefects** विद्यालय में पूर्ण शान्ति-व्यवस्था बनाये रखेंगी तथा विद्यालय में पढाई के अतिरिक्त एक घंटा अधिक देंगी जिसका उन्हें प्रमाण पत्र दिया जायेगा। छात्राएँ **Prefects** की ड्यूटी के लिये अपना नाम स्वयं देगी और पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। यदि कोई ड्यूटी देने में असमर्थ है तो अपने घण्टे की **Chief Prefects** को सूचित करेंगी। सभी **Prefects** पर एक **Chief Prefect** होगी जिसका कार्य सब का रिकार्ड रखना होगा। **Prefects** अपना संबन्ध **Proctor** से स्थापित करेंगी और छात्राओं की समस्याओं का समाधान करेंगी। छात्राओं की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जायेगी।
8. छात्रायें परस्पर प्रेमपूर्वक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगी। विद्यालय के बाहर भी छात्रायें पूर्ण शिष्टता का व्यवहार करेंगी। यदि उन्हें महाविद्यालय समय में अनुचित स्थानों पर घूमते, अभद्रता का व्यवहार करते या कोई अशोभनीय कार्य करते देखा गया तो उन्हें महाविद्यालय से सस्पेंड कर दिया जायेगा।
9. महाविद्यालय में झूठी अफवाहें फैलाना नितान्त वर्जित है यदि ऐसा करते पाया गया तो प्रोक्टर तथा प्राचार्य को अधिकार होगा कि वह छात्रा के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।
10. यदि छात्रायें महाविद्यालय में कोई रचनात्मक कार्य करना चाहती है तो उन्हें दक्ष प्राध्यापिकाओं द्वारा मार्ग दर्शित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक कार्य प्राचार्य की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
11. छात्राओं को चाहिए कि कालेज से सीधा घर जायें और घर से सीधी कालेज में आयें। महाविद्यालय की वेशभूषा में इधर-उधर नहीं घूमेंगी।
12. यदि कोई छात्रा कालेज आती है और कालेज आकर किसी विषय का पीरियड अटैण्ड नहीं करती तो उसे एक सप्ताह तक उस विषय की कक्षा में नहीं जाने दिया जायेगा।
13. छात्राओं को यह आदेश है कि महाविद्यालय के पते पर कोई पत्र न मंगाये। प्राचार्या को डाक जांच करने का पूर्ण अधिकार है और न पुरुष सम्बन्धी को कालेज बुलाये। नम्बर लेने, फीस जमा करने या अन्य कार्य से कालेज के समय में पुरुष सम्बन्धी को न भेजें। कालेज के गेट पर खड़े होकर कोई छात्रा अपने पुरुष सम्बन्धी से बात न करें। यदि छात्राओं से उनके भाई, चाचा या कोई पुरुष सम्बन्धी विशेष कारण से मिलने आये तो वो प्राचार्या की अनुमति से ही मिल सकेंगे अन्यथा नहीं।
14. छात्रा को जो सूचना प्राप्त करनी हो वह पहले प्रोक्टर से प्राप्त करे बाद में प्राचार्य से।
15. विद्यालय में पूर्ण अनुशासन बनाये रखना छात्राओं का दायित्व होगा और तनिक भी लापरवाही अक्षम्य होगी।
16. शैक्षिक योग्यता के साथ सादगी के गुण और उत्तम विचारों की जागृति की ओर पूर्ण ध्यान दें।
17. ऊपर की मंजिल पर खड़े होकर नीचे की मंजिल पर बात करना वर्जित है। अन्तिम मंजिल की छत पर चढ़ना भी वर्जित है।
18. छात्रा/अभिभावक कोई भी जानकारी सीधे कार्यालय में अथवा नोटिस बोर्ड पर ही देखें। फोन द्वारा सूचना प्राप्त न करें।



## पाठ्येत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ

### 1. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ

छात्राओं के बहुमुखी विकास एवं उन्हें समसामयिक विषयों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालय में विषय-परिषद एवं समितियाँ गठित हैं जिनके द्वारा वर्ष पर्यन्त अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है यथा:-

- वाद-विवाद, विचार प्रस्तुति एवं निबन्ध लेखन प्रतियोगिता।
- सेमिनार, परियोजना-कार्य एवं पाठ्येत्तर कोर्सेज।
- चित्र एवं हस्तकला कौशल आधारित प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी।
- सांस्कृतिक गतिविधियाँ – नृत्य, गायन एवं नाट्य प्रस्तुतियाँ।
- विभिन्न सामयिक मुद्दों / विषय आधारित अतिथि व्याख्यान।

### 2. खेलकूद प्रतियोगिताएँ :-

“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है” इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए छात्राओं के सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु महाविद्यालय में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं यथा –

- वार्षिक खेलकूद स्पर्धाओं का आयोजन
- अंतर्महाविद्यालयी एवं राज्य / राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहन एवं सहायता।
- आत्मरक्षा हेतु ताइक्वांडों प्रशिक्षण
- योगाभ्यास प्रशिक्षण

### 3. राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई कार्यरत है जिसमें 100 छात्रायें पंजीकृत की जाती हैं। यह योजना पर्यावरण संरक्षण, पोलियो उन्मूलन, एड्स जनजागरण, रक्तदान, साक्षरता आदि कार्यक्रमों के लिए सक्रिय है।

इस योजना में केवल बी0ए0 / बी0एससी0 प्रथम व द्वितीय वर्ष की छात्राएँ प्रवेश ले सकती हैं प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय ही रा0से0यो0 में अपना नाम पंजीकृत करना होता है। द्वितीय वर्ष के लिए पुनः पंजीकरण कराना होगा। इसके लिये प्रवेशार्थी नोटिस बोर्ड पर सम्बंधित सूचनाएँ नियमित रूप से देखें और कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क करें। इस योजना के मुख्य रूप से दो कार्यक्रम हैं :-

1. नियमित कार्यक्रम
2. सात दिवसीय दिन रात का विशेष शिविर कार्यक्रम

**रा0से0यो0 में पंजीकृत छात्राओं को लगातार दो वर्षों में नियमित कार्यक्रम के रूप में 240 घण्टे एवं सात दिवसीय शिविर पूर्ण करने पर ही स्वयं सेवक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।** रा0से0यो0 के 'बी' एवं 'सी' प्रमाण-पत्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अलग से परीक्षा देनी होगी।

### पुस्तकालय –

पुस्तकालय किसी भी संस्था का प्राण एवं उसकी महत्ता का द्योतक होता है महाविद्यालय में छात्राओं के लिये एक वृहद एवं सम्पन्न पुस्तकालय है। छात्राओं से आशा की जाती है कि वे नियमित रूप से पुस्तकालय में बैठकर अधिकाधिक ज्ञानोपार्जन करें।

प्रवेश के समय ही प्रत्येक छात्रा को लाइब्रेरी कार्ड **issue** किया जायेगा। छात्राओं को पूरे वर्ष उनके नियत दिवसों पर पुस्तकें ली तथा दी जायेंगी। पुस्तकालय में पढ़ने के लिये पुस्तक लाइब्रेरी कार्ड जमा करने पर ही दी जायेगी।

छात्राएँ पुस्तकालय में शांति बनाये रखे अन्यथा उन्हें अर्थ दण्ड दिया जायेगा। प्रत्येक छात्रा पुस्तकालयाध्यक्षा की आज्ञा एवं पुस्तकालय के नियमों का पालन करते हुये अनुशासन बनाये रखेगी। पुस्तकालय में पुस्तक लेकर जाना वर्जित होगा। यदि छात्राएँ निर्दिष्ट तिथि पर पुस्तक नहीं लौटाएगी तो उन्हें निर्दिष्ट तिथि से प्रतिदिन निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा।

पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त शोध पत्रिकाएँ समसामयिक पत्रिकाएँ, लघु शोध प्रबंध, इन्साइक्लोपीडिया, सी0डी0 व अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध है।

## शपथ-पत्र

सक्षम:-

श्रीमान सक्षम महोदय,

शपथ पत्र मिनजानिब - कु0

मैं शपथकर्ता निम्न कथन बहलफ बयान करती हूँ कि-

- 1- यह कि मेरा उपरोक्त लिखित नाम व पता सब सच व सही है।
- 2- यह कि मैंने रैगिंग निषेध के विधि निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समक्ष लिया है।
- 3- यह कि मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
- 4- यह कि मैं एतद्द्वारा घोषण करती हूँ कि मैं ऐसे कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊंगी, जो रैगिंग की परिभाषा के अन्तर्गत आता है।
- 5- यह कि मैं किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त नहीं हूंगी। उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूंगी और मैं किसी को भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूंगी अथवा कोई अर्थ क्षति नहीं पहुंचाऊंगी।

.....ह0 शपथकर्ता

मैं बहलफ बयान करती हूँ कि शपथ पत्र का पैरा नं0 1 से 5 का मजमून मेरे निजी इल्म व यकीन में सब सच व सही है। सच बोलने पर ईश्वर/खुदा मेरी मदद करें।

दिनांक :

.....ह0 शपथकर्ता

## शपथ-पत्र

सक्षम:-

श्रीमान सक्षम महोदय,

शपथ पत्र मिनजानिब -

मैं शपथकर्ता निम्न कथन बहलफ बयान करता/करती हूँ कि-

- 1- यह कि मेरा उपरोक्त लिखित नाम व पता सब सच व सही है।
- 2- यह कि मैंने रैगिंग निषेध के विधि उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
- 3- यह कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी पुत्री संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगी।
- 4- यह कि मैं सहमति देता हूँ कि यदि उसे रैगिंग में लिप्त पाया गया जो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरुद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाये।

.....ह0 शपथकर्ता

मैं बहलफ बयान करती हूँ कि शपथ पत्र का पैरा नं0 1 से 4 का मजमून मेरे निजी इल्म व यकीन में सब सच व सही है। सच बोलने पर ईश्वर/खुदा मेरी मदद करें।

दिनांक :

.....ह0 शपथकर्ता

## मोबाइल हेतु अनुमति पत्र

मैं अपनी पुत्री.....कक्षा.....को महाविद्यालय में मोबाइल लाने हेतु अनुमति चाहता/चाहती हूँ। वह मोबाइल का प्रयोग विशेष परिस्थिति में ही करेगी। महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का अनुचित प्रयोग करने पर महाविद्यालय को उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/आर्थिक दण्ड का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर माता/पिता  
नाम

# श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय







**श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द कन्या  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय**

रुड़की (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से सम्बद्ध